न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री बीरबल सिंह शेखावत, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 512/2019

1. श्रीमती केसर देवी पत्नि स्व. श्री जगन्नाथ (मृतक) जरिये विधिक वारिस
1/1 श्री कैलाश नारायण पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ निवासीः ग्राम हिंगोणिया की ढाणी, पोस्ट बूडथल, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार ज़रिये तहसीलदार बस्सी, जिला जयपुर।
2. जयपुर विकास प्राधिकरण जरिये सचिव, व्यास भवन इन्दिरा सर्किल, जयपुर।

—— रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जिला जयपुर वाद संख्या 161/2008 उनवानी केसर देवी बनाम राजस्थान सरकार व अन्य अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः

श्री लोकेश गौड एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री नरेन्द्र कुमार पारीक एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2
श्री जी.एल.मीना एडवोकेट
राजकीय पैरोकार

निर्णय दिनांकः 06/08/2020

—: निर्णय :—

1. अपीलान्ट की ओर से एक अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जिला जय़पुर के वाद संख्या 161/2008 बउनंवानी केसर देवी बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 15.06.2016 के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 67 रकबा 2 बीघा ग्राम हिंगोनिया तहसील बस्सी, जिला जयपुर में स्थित है। वादिया एवं उसके पूर्व हकाधिकारी जगन्नाथ पुत्र नन्दा बजमाने जागीर उक्त आराजी को काबिज रककर काश्त करते चले आ रहे है, जगन्नाथ पुत्र नन्दा का देहान्त हो चुका है। वादिया उसकी बेवा है जो गरीब तबके की महिला है, उक्त आराजी के अलावा वादिया के जीवकोपार्जन का अन्य कोई साधन नहीं है, अपने पूर्व हकाधिकारी जगन्नाथ के मृत्यु के बाद वादिया उक्त आराजी पर निरन्तर काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है। उक्त भूमि को वादिया के पूर्व हकाधिकारी ने अपने नाम करवाने बाबत राजस्व कार्यालय एवं राजस्व अधिकारियों के अलावा कई मर्तबा प्रार्थना

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

पत्र आदि प्रस्तुत किये और नियमन की कार्यवाहियां की लेकिन दुर्भाग्यवश उसी दरमियान वादिया के पूर्व हकाधिकारी जगन्नाथ पुत्र नन्दा का देहावसान हो जाने के कारण आराजी खसरा नंबर 67 रकबा 2 बीघा ग्राम हिंगोनिया तहसील बस्सी का नियमन वादिया और उसके पूर्व हकाधिकारी के पक्ष में नहीं हो सका। वादिया ने उक्त आराजी की जमाबंदी लेने बाबत जब अपने हल्के पटवारी से मार्च 2003 में बात की तो उसने बताया कि उक्त आराजी जिस पर तुम काश्त करती हो वह तुम्हारे व तुम्हारे पति किसी के नाम नहीं है बल्कि उक्त आराजी सिवायचक है जिस पर सरकार का अधिकार होता है तुम केवल काश्त करती आ रही हो, खातेदारी तुम्हारे नाम नहीं है और यदि तुम उक्त आराजी को अपने नाम करवाना चाहती हो तो नियमन आदि की कार्यवाही करो। वादिया बंदोबश्यत से पूर्व बजमाने जागीर व अपने बुजुर्गो के समय से तथा उसके बाद आज तक भी बिना किसी बाधा के भूमि को काश्त करती चली आ रही है एवं उसे आज तक भी किसी ने काश्त करने से नहीं रोका है और ना ही पटवारी हल्का से जानकारी होने से पूर्व वादिया को उक्त आराजी सिवाय चक होने की जानकारी नहीं थी उक्त विवादग्रस्त आराजी पर वादिया का बाडा बना हुआ है, पशु बांधती है तथा निवास के लिये छप्पर आदि डाल रखे है। विवादग्रस्त आराजी जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम निहित हो जाने से यह संभावना है कि वादिया जो गरीब तबके की अनुसूचित जाति की महिला है, को किसी भी समय उसकी कब्जेशुदा आराजी से जिसको उसने काफी मेहनत से विकसित किया है, निष्कासित किया जा सकता है, इसलिये प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से भी पाबंद कराना आवश्यक हुआ है। वादिया ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि वादिया वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर वादिया को विवादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 67 रकबा 2 बीघा की खातेदार काश्तकार घोषित की जावे व उसके लगान का निर्धारण किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड आदि में उसी अनुसार अंकन किया जावे। वाद वादिया विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादिया को उसकी कब्जेशुदा आराजी से बेदखल करने की कार्यवाही नहीं करे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वकील पक्षकारान की बहस सुनकर बाद बहस मनन दिनांक 15.06.2016 को वादिया का वाद खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस मे मुख्यतः यह कथन किये कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को कैम्प कोर्ट में कोई नोटिस या सूचना प्रदान नहीं की एवं अपीलान्ट की अनुपस्थिति में उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वास्ते इंतजार जवाबदावा प्रतिवादीगण हेतु नियत थी किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्व तरीके से पत्रावली को राजस्व लोक अदालत में लेकर अपीलान्ट/वादिया का पक्ष सुने बिना ही वाद खारिज में महान कानूनी त्रुटि कारित की है। इस कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.06.2016 खारिज फरमाया जावे। वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलार्थी के

राजस्व अपील प्राधिकारी

कथनों का खंडन करते हुये बताया कि विवादग्रस्त आराजीयात जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है एवं वादिया का आराजीयात पर कोई कब्जा नहीं हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण से संबंधित समस्त साक्ष्य सबूतों के आधार पर प्रकरण के गहन परीक्षण पश्चात् निर्णय पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। इस कारण अपील अपीलार्थी आधारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

4. वकील उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। बाद अवलोकन यह पाया कि वादिया द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादग्रस्त आराजीयात के संदर्भ में घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 15.06.2016 के माध्यम से खारिज कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात के समुचित अवलोकन पश्चात् पाया गया कि गत खसरा नंबर 67 रकबा 2 बीघा जिसके वर्तमान खसरा नंबर 754 रकबा 2.34 हैक्टेयर जो कि पूर्व के कई खसरा नंबरान को मिलाकर बना है जिसमें गत खसरा नंबर 67 भी शामिल है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादग्रस्त आराजीयात के बाबत तहसीलदार बस्सी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 15.06.2016 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि उक्त रिपोर्ट अनुसार " वर्तमान खसरा नंबर 754 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ द्वारा एस.बी. सिविल रिट पीटिशन नंबर 15585/2010 में दिनांक 19.09.2012 के आदेशानुसार खसरा नंबर 754 के नवीन खसरा नंबर 754/1 रकबा 2 हैक्टेयर चिरकाल तक हिंगोनिया गौ शाला के नाम रहने के आदेश जारी किये है जिसका नोट जमाबंदी में अंकित है, शेष भूमि 0.34 हैक्टेयर पर जयपुर विकास प्राधिकरण का कब्जा है, वर्तमान में वादी का उक्त आराजी हाल खसरा नंबर 754 पर कोई कब्जा नहीं है। " इस प्रकार तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट/वादिया के विवादग्रस्त आराजीयात पर काबिज काश्त होने के तथ्य मिथ्या एवं निराधार पाये जाते है। वादिया द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं न्यायालय हाजा के समक्ष उक्त विवादग्रस्त आराजीयात को जागीरदार के समय से भूमि पर काबिज काश्त होने के कथनों के अतिरिक्त उक्त तथ्य की प्रमाणिकता बाबत कोई दस्तावेज इत्यादि अधिनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जिससे वादिया/अपीलान्ट एवं उसके पूर्वजो का विवादग्रस्त आराजीयात पर मालिकाना हक अधिकार प्रमाणित हो। अपीलान्ट/वादिया द्वारा विवादग्रस्त आराजीयात पर पर पूर्वजो के समय से ही काबिज काश्त होने के तथ्य वर्णित कर एडवर्स पजेशन के आधार पर विवादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी स्वयं के हक में घोषित करवाये जाने का अनुतोष चाहा गया है। जबकि माननीय राजस्व मंडल की लार्जर बैन्च द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित अपने न्यायिक दृष्टांत 2011 आर.आर.डी पेज 508 जगदीश व अन्य बनाम सीताराम व अन्य में निर्णय प्रतिपादित कर स्पष्टीकरण दिया है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी व्यक्ति के खातेदारी अधिकार किसी दूसरे अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरण नहीं किये जा सकते हैं। इस आधार पर अपीलान्ट/वादिया द्वारा न्यायालय हाजा एवं अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एडवर्स पजेशन के आधार पर चाहा गया अनुतोष विधिक प्रावधानों के विपरीत है। अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी के बिन्दु के अतिरिक्त अन्य कोई ठोस एवं सारवान तथ्य अपनी अपील में वर्णित नहीं किये है जिससे कि यह प्रतीत हो कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय गलत एवं न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग कर पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी

किया गया हो। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विधिक प्रावधानों का अनुसरण में सही निर्णय पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपीलान्ट द्वारा अपील परिसीमा 60 दिवस के पश्चात् लगभग 3 वर्ष से भी अधिक की देरी से अपील प्रस्तुत की है, उक्त देरी बाबत अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन आदेश के बारे में अपीलान्ट की माता वादिया केसर देवी की मृत्यु दिनांक 11.06.2019 को हो जाने के कारण उनके कागजात देखने पर अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 17.07.2019 को होना दर्शित किया है। यदि अपीलान्ट के धारा 5 में वर्णित प्रथम बार अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 17.07.2019 से भी मान ली जावे तब भी प्रथम बार जानकारी दिनांक 17.07.2019 से भी अपील की मियाद 60 दिवस पश्चात् दिनांक 17.09.2019 को समाप्त हो जाती है। जबकि अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुति दिनांक 17.09.2019 के भी पश्चात् बावजूद जानकारी के दिनांक 04.10.2019 को लगभग 17 दिवस की देरी से प्रस्तुत की है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों के अनुसार भी अपील देरी से प्रस्तुत की गई है। इस कारण प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज योग्य पाया जाता है एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील भी आधारहीन होने से खारिज योग्य पायी जाती है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है साथ ही अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील भी खारिज की जाती है।

5. अतः अपील अपीलार्थी खारिज कर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2016 यथावत रखा जाता हैं। पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 06.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर